



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171204

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8292/2026

अनवर अहम

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुभाष चन्द्र यादव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 95 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं., थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में हिंदी शिक्षक है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित जांच में उक्त अल्पसंख्यक संस्था संचालित होती हुई नहीं पाई गई और यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक तथा संबंधित संस्था के प्रबंधक सहित अन्य शिक्षकों ने अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त वेतन का गबन किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बताया गया है कि आवेदक ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर वेतन के रूप में प्राप्त 2,14,000/- रुपये का गबन किया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने कोई अपराध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारित नहीं किया है। वह विधि के अनुसार अपेक्षित शिक्षा प्रदान कर रहा था। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त किरण पाल को इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बी.एल संख्या 6727 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 17.07.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया। तथापि, वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।

6- बताया गया है कि आवेदक अतरौलिया, आजमगढ़ स्थित मदरसा फैजे कौशर निस्वां, रुकमलपुर में हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। बताया गया है कि आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उक्त मदरसे में हिंदी पढ़ाने के लिए उसे दिए गए वेतन का गबन किया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक अभी भी शिक्षक के रूप में कार्यरत है और उसकी सेवाएं अभी तक समाप्त नहीं की गई हैं। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त किरण पाल को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

7- प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के कथन तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9- आवेदक **अनवर अहमद** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :-

i- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10- उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

13 अगस्त, 2026

कुशल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।